संख्या-331//2025//1037/41-1-2025-CN: 1796736-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०, तखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2025

विषय- उ०प्र० पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

महानिदेशक, पर्यटन उ०प्र० द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से विक्षीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संसख्या-44 के लेखाचीर्ध-5452801040800-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मद के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत कार्य पोजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के आगणन प्रेषित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वितीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास पोजन्यन्तर्गत निम्नतिखित परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं विज्ञीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में निम्नक्त सारणी के अनुसार कुत रू0 10.25 लाख (रूप दस लाख पच्चीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

क० सं०	कम्प्यूटर संख्या	महानिदेशक का पत्र संख्या दिनांक	कार्य का नाम	नामित कार्यदपी संस्था	परियोजनाओ की प्रशासकीय एवं वित्त स्वीकृति एस० टी०	प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	विशिष्ट शर्ते
)1(	)2(	)3(	)4(	)5(	)6(	)7(	)8(
1	1913324	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22, 2025	)4जनपद फतेहपुर के ग्राम (दुद्धिषु कगार बाक महया स्थित मौनी सरकार पंचवटी आङ्गन के सौन्दर्गीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु	उप्रोजेक्ट 0प्र0 कारपोरेशन ०लि	98.00	0.25	भूअभिलेख-, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध, 26-बिंदु ओ की सूचना एवं रख-रख○ाव हेतु बैंक खाता एवं क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रयागरा प द्वारा उपलब्ध कराये जाने के पश्यात ही आगणन शासन को प्रेषित किया जाय।
2	1913456	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22 2025	जनपद कन्नौज स्थित छिबरामऊ ग्राम सकरावा में प्रावीन कजरंगबली मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि 0	98.60	0.25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
3	1913330	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22 2025	जनपद बलिया में स्थित ग्राम चरौआ में स्थित रामजानकी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ राज्य 0प्र0 पर्यटन विकास 0निगम लि	63.50	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

							जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही परियोजना के कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4	1913316	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22 2025	जनपद प्रयागराज के ग्राम बरॉव तहसील करछना में स्थित राघवेन्द्र मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ प्रोजेक्ट 0प्र0 0कारपोरेन लि	73.60	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही परियोजना के कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
5	1913485	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22 2025	जनपद बलिया के लखनेश्वर डेह मंदिर में स्थित रसादा का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उपर्यटन 0प्र0 विकास निगम 0लि	74.60	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही परियोजना के कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
6	1912971	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22 2025	जनपद आजमगढ़ में स्थित श्री प्रथम देव स्थान बहरा देव बाबा गौरा भदानपुर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उपर्यटन 0प्र0 विकास निगम 0लि	99.00	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही परियोजना के कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
7	1912977	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22 2025	जनपद आजमगढ़ महराजगंज में स्थित भैरोबाबा का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उपर्यटन 0प्र0 विकास निगम 0लि	88.77	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही परियोजना के कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
8	1912978	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22 2025	जनपद आजमगढ़ मिश्रपुर में स्थित रामजानकी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उपर्यटन 0प्र0 विकास निगम 0लि	74.89	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही परियोजना के कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
9	1912969	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22 2025	जनपद बलिया के वि 0स0 रा रोड ग्राम पंचायत बेल्थ आ पट्टी फरसाटार मौजा तेन्दु होलपुर के हनुमान मंदिर परिसर का पर्यटन विकास कार्य	उपर्यटन 0प्र0 विकास निगम 0लि	73.60	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

			हेतु				ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
10	1912960	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22 2025	जनपद कानपुर देहात के रसूला बाद में स्थित धर्मागढ बाबा मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उपर्यटन 0प्र0 विकास निगम 0लि	75.40	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
11	1912851	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22 2025	जनपद बलिया में स्थित ग्राम बस न्तपुर में उदासीन मठ का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उपर्यटन 0प्र0 विकास निगम 0लि	196.48	0.25	--
12	1912855	11140/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 26 2025	जनपद सुलतानपुर वि 0स0 राय की बल्दी 0ख0इसौली के वि ग्राम पंचायत सुखबहेडी में सुखदेव मुनि आश्रम का पर्यटन विकास कार्य हेतु	राज्य पर्यटन विकास लि0	74.95	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
13	1911881	10838/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 26 2025	जनपद बुलन्दशहर के वि 0स0 ना के ग्राम गजरौला के पास स्या मां डव ऋषि आश्रम का पर्यटन विकास कार्य हेतु	राज्य प्रोजेक्ट कारपोरेन लि0	78.50	0. 25	त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
14	1911884	10838/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 26 2025	जनपद गाजीपुर में स्थित महाहर धाम के मंदिर का सौन्दर्यीकण कार्य हेतु	राज्य प्रोजेक्ट्स कारपोरेन लि0	73.94	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
15	1912400	10880/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 26 2025	जनपद गाजीपुर में स्थित महाहर धाम के मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	राज्य प्रोजेक्टस कारपोरेन लि0	102.23	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

16	1912312	10880/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 26 2025	जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड रामकोला के ग्राम सभा कुसमहा में स्थित रामजानकी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	सी 0 डीएण्ड0 0प्र0उ 0एस जल निगम	87.65)	0. 25	त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
17	1911883	10880/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 20 2025	जनपद जौनपुर के ग्राम सभा विभापुर, विमुंगरा 0ख0 बादशाहपुर में पियरी देवी धाम का पर्यटन विकास कार्य हेतु	राज्य प्रोजेक्टस कारपोरेन लि0	100.10	0. 25	त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
18	1912298	10880/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 21 2025	जनपद महराजगंज के भगवानपुर महसील नौतनवां में शिव मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	सी 0 डीएण्ड0 0प्र0उ 0एस जल निगम	71.26	0. 25	नवीन सोसाइटी रजिस्ट्रीशन प्रमाण पत्र रख रखाव हेतु बैंक खाता एवं त्रिपक्षीय अनुबन्ध उप निदेशक, पर्यटन गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त पत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
19	1911838	10880/6-1-1(05)/202424-25. दिनांक 22 2025 मार्च	जनपद गाजियाबाद के वि 0स0 डा में मुरादनगर के ग्राम कुन्है स्थित भगवान परशुराम मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	राज्य प्रोजेक्टस कारपोरेन लि0	92.50	0. 25	---
20	1912757	10880/6-1-1(05)/202424-25. दिनांक 20 2025 मार्च	जनपद कुशीनगर में विकास खण्ड सेवरही के ग्राम पथरवा में भगवान शंकर जी के मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	सी 0 डीएण्ड0 0प्र0उ 0एस जल निगम	85.10	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
21	1911876	10880/6-1-1(05)/202424-25. दिनांक 20 2025 मार्च	जनपद गौतमबुद्धनगर के विदादरी के ग्राम सोनपुर 0स0 भोला रावल स्थित प्राचील बाबा भोला सिद्ध शिव मदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ 0प्र0 स प्रोजेक्ट कारपोरेशन 0लि	59.10	0. 25	त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
22	1911886	10838/6-1-1(05)/202424-25. दिनांक 20 2025 मार्च	जनपद गाजियाबाद के वि 0स 0 गोदीनगर स्थित सीकरी महामाया मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ 0प्र0 स प्रोजेक्ट कारपोरेशन 0लि	70.50	0. 25	त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

23	1912298	10838/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 21 2025	जनपद बुलन्दशहर के वि0स 0 डिबाई में करणवास महाऋषि गुरूकुल आश्रम का दया नन्द पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ 0प्र0 स प्रोजेक्ट कारपोरेशन 0लि	96.30	0. 25	नवीन सोसाइटी रजिस्ट्रीशन प्रमाण पत्र रख रखाव हेतु बैंक खाता एवं त्रिपक्षीय अनुबन्ध उप निदेशक, पर्यटन गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त पत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
24	1912963	1074/6-1-1(05)/202424-25. दिनांक 20 2025 मार्च	जनपद चन्दौली के सकलडीहा विधान सभा के चहनिया विकास खण्ड के अन्तर्गत शिव मंदिर के समीप सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ 0प्र0 स प्रोजेक्ट 0कारपोरेशलि	91.20	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
25	1913337	मार्च 04, 25	जनपद चन्दौली के ग्राम के लक्ष्मणपुर में स्थित श्री 1008 लक्ष्मीब्रह्म धाम मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ 0प्र0 स प्रोजेक्ट 0कारपोरेशलि	85.10	0. 25	भूमि से संबंधित, त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
26	1912298	10880/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 21 2025	जनपद महराजगंज के भगवानपुर तहसील नोतनवा में शिव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	सी 0 डीएण्ड0 0प्र0उ 0एस जल निगम	71.26	0. 25	नवीन सोसाइटी रजिस्ट्रीशन प्रमाण पत्र रख रखाव हेतु बैंक खाता एवं त्रिपक्षीय अनुबन्ध उप निदेशक, पर्यटन गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त पत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
27	1913475	10943/6-1-1(05)/202424-25. दिनांक 20 2025 मार्च	जनपद कासगंज के विकास खण्ड सोरों में स्थित महत्वपूर्ण प्राचीन धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ 0प्र0 स प्रोजेक्ट कारपोरेशन 0लि	85.10	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
28	1914000	11148/6-1-1(05)/202424-25. दिनांक 20 2025 मार्च	जनपद मैनपुरी के मिढावली में माता मंदिर का सौन्दर्यीकरण पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ 0प्र0 स प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	117. 72	0. 25	उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चत ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

29	1913382	7092A/6-1-1)05/(2024-25. मार्च 03 दिनांक 2025	जनपद फिरोजाबाद के ग्राम गौछ स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ 0प्र0 सप्रोजेक्ट कारपोरेशलि0	136.61	0. 25	परियोजना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, म्यूरल आर्ट वर्क के कार्य कार्यदायी संस्था UPPCL द्वारा कराये जाने के संबंध में।
30	1912965	10943/6-1-1(05)/202424-25. दिनांक 20 2025 मार्च	जनपद मैनपुरी के ग्राम अलूपुर स्थित श्री मिट्ठ ब 108ाबा सत्यब ली आश्रम का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ 0प्र0 स प्रोजेक्ट 0कारपोरेशलि	148.60	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
31	1912973	10943/6-1-1(05)/202424-25. दिनांक 20 2025 मार्च	जनपद लखनऊ में स्थित गोमती नदी के तट हनुमान धाम प्राचीन मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ 0प्र0 स प्रोजेक्ट 0कारपोरेशलि	214.76	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही परियोजना के कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
32	1912973	10943/6-1-1(05)/202424-25. दिनांक 20 2025 मार्च	जनपद फिरोजाबाद के ग्राम रामनगर स्थित ठाकूर जी महाराज मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ 0प्र0 स प्रोजेक्ट 0कारपोरेशलि	196.00	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उपनिदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही परियोजना के कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
33	1913320	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 20 2025	जनपद रायबरेली के सलोन में स्थित महेश्वरनाथ मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उ 0प्र0 स प्रोजेक्ट 0कारपोरेशलि	56.80	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही परियोजना के कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
34	1913471	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 20 2025	जनपद बस्ती विबहुदेरपुर 0ख0 सदर में ग्राम महादेवा बस्ती बरूआ नाथ शिव मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	प्रदेश राज्य प्रोजेक्टस कारपोरेशलि0	196.00	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही परियोजना के कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
35	1912798	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22 2025	जनपद आगरा के विधानसभा बाह के अन्तर्गत ग्राम रूदमुली स्थित शिव मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	प्रदेश राज्य प्रोजेक्टस कारपोरेशलि0	72.60	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही परियोजना के कार्य प्रार

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

							किया जायेगा।
36	1912766	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 22 2025	जनपद मैनपुरी स्थित घटाघर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु	उत्तर प्रदेश राज्य प्रोजेक्टस कारपोरेशलि0	147.68	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
37	1912779	7883/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 20 2025	जनपद फिरोजाबाद के ग्राम भूड नगरिया नारखी स्थित श्री बजरंग आश्रम का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु	उत्तर प्रदेश राज्य प्रोजेक्टस कारपोरेशलि0	110.30	0. 25	परियोजना में प्राविधनित म्यूरल आर्ट वर्क के कार्य कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि 0 द्वारा कराये जाने के संबंध में।
38	1912363	10880/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 27 2025	जनपद फिरोजाबाद स्थित छदामी लाल जैन मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उत्तर प्रदेश राज्य प्रोजेक्टस कारपोरेशलि0	128.32	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
39	1911924	10838/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 20 2025	जनपद मैनपुरी के ग्राम औरथ में स्थित भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ धाम मंदिर एवं माता मन्दिर के पर्यटन विकास कार्य हेतु	उत्तर प्रदेश राज्य प्रोजेक्टस कारपोरेशलि0	192.00	0. 25	त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
40	1912066	10838/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 20 2025	जनपद आगरा के आगरा के खेडी में स्थित धाकम माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	उत्तर प्रदेश राज्य प्रोजेक्टस कारपोरेशलि0	88.30	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध एवं रख रखाव हेतु बैंक खाता विवरण क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा द्वारा उपलब्ध कराया

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

							जायेगा।
41	1912419	10943/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक मार्च 20 2025	जनपद फिरोजाबाद के तहसील सिरसागंज अन्तर्गत जदुद्वारा स्थल के पर्यटन विकास कार्य हेतु	उत्तर प्रदेश राज्य प्रोजेक्टस कारपोरेशलि0	196.00	0. 25	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रखरखाव हेतु बैंक खाता - उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
					कुल योग	10.25	

(1) प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा संबंधित जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेलरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग 2 के शासनादेश सं0-3/2017/1067/78-2-2017-42-आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अधोरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों / प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर तागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्तआय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित शतों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि चार्जेज नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(7) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतानके अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी०एस०टी० इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक विधानको भुनकिनेकदा से प्राप्त कर शासन को उपयोगिताकृतको एवं की सून शासन एवं महालेखाकार, प्रपाको अनिसुनिद्धित किया जायेगा।

(8) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कराया जाय स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज का अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जयेगा।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यव आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि सापेक्ष आहरण एवं विवरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(10) परियोजना में होने वाले कार्यके में यह सुनिक्षित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरुप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिक्षित किया जावेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए मानसन को अवगत कराया जायेगा।

(11) परियोजना में निर्माण कार्य की गुण मानक एवं विशिष्क्रियों की जिम्मेदारी कार्यदागी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आठिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) यह सुनिक्षित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिक्ति किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य पोजनाओं में द्विरावृति/पुनरावृति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपातन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिक्षित किया जायेगा।

(14) अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूबना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पापी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप्प से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवला एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) कार्य की विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों पर्टचार्ट कार्य जाये

(17) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिहित करा ली जायेगी तथा निधमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय कीरेनस सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जापेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का कम उ० प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार कप किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत निहित विशिष्टि प्रकार की लाइट फिटिंया एवं फिक्चर्स, जो बाजार दरों/कोटेशन पर आधारित हैं, की दरों को न्यूनतम एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायिन पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित बाट आउट आइटम के कार्यों हेतु पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर क्रय एवं स्थापना सुसंगत विलीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत सेंटेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार, निर्माण लागत तथा विलीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में विल (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिहित की जायेगी।

(22) परियोजनान्तर्गत बाट आउट आइटम्स पर पर्यटन अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-2764/41-1-2024-सी0एन0-1864107/2024 दिनांक 07 नवम्बर, 2024 द्वारा गठित क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(23) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी / उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूरूपये 10.25 लाख (रू) दस ताख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्ष-5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकारी के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (तेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी फतेहपुरको बलिया प्रयागराज आजमगढ़ कानपुर देहात सुलतानपुर दमाहर अलीगढ़ गाजीपुर/कुशीनगर जौनपुर महराजगंज गाजियाबाद गौतमबुद्धनगर बन्दौली कासगंज/मैनपुरी/
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक सी० एष्ठी (जल निगम उ०प्र० तखनऊ। 7. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि. लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक , पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10 क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य पोजना पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया कमांक-4 5.6.7.8.9 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. संबंधित उप निदेशक, पर्यटन क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटन।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in